(c) the number of incidents of armed paddy looting during the period from 1st September, 1969 to 31st Novembei, 1969;

(d) the number of persons killed in mining accidents during the year ended 31st March, 1970; and

(e) the action Government have taken against persons who have been responsible for breach of law and order in the Asansol, Raniganj/Durgapur industrial belt?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (e) Facts are being ascertained.

स्टाफ कारें

708. **श्री नवल किशोर : क्या शिक्षा तथा युवा सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितनी स्टाफ कारें हैं;

(ख) 1969-70 के वर्ष में उन कारों से कितने किलोमीटर सफर किया गया और इसमें से छुट्टियों में कितने किलोमीटर का सफर किया गया;

(ग) उक्त दोनों प्रकार के सफरों में उनके मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अलग-अलग कुल कितना सफर किया;

(घ) क्या यह सच है कि स्टाफ कारों का इस्तेमाल केवल उच्च अधिकारी ही करते हैं और कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए भी ये स्टाफ कारें उपलब्ध नहीं होती।

(ङ) क्या यह भी सच है कि उच्च अधिकारी स्टाफ कारों पर अपने घर से दफ्तर आते-जाते हैं और छुट्टी के दिनों में उन्हें घर पर इस्तेमाल करते हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या ड्राइवरों से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये सफर का ब्यौरा ठीक-ठीक रखें?

†[STAFF CARS

708. SHRI NAWAL KISHORE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) the total number of staff cars in his Ministry;

(b) the journey performed in terms of kilometers by these cars during the year 1969-70 and the number of kilometers covered by them during holidays ;

(c) the total number of kilometers covered in the aforesaid journeys performed by officers and staff of his Ministry, respectively;

(d) whether it is a fact tha staff cars are used by high officials and that they are not available for staff even for official duty;

(e) whether it is also a fact that high officials use these cars for coming to their offices and going home from there and also use them at home during holidays; and

(f) if so, whether the drivers have been asked to record correctly the details of the journey performed by each individual?]

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पांच।

(ख) 11,339 किलोमीटर (जिसमें छुट्टियों के दौरान का 23,306 किलोमीटर भी शामिल है)

(ग) अधिकारियो के सफर का अलग अलग हिसाब बताना सम्भव नहीं है क्योंकि लाग-बुक में सभी प्रविष्टियों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं और ऐसे आंकड़ों के इकट्ठा करने में बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा जो कि प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये स्टाफ कार की उपलब्धता एक बडे मंत्रालय की मांगों पर निर्भर करती है

†[ ] English translation.

क्योंकि ऐसी कारो की संख्या सीमित है और किसी भी समय उ के सेवा योग्य होने पर निर्भर है।

(ङ) स्टाफ का की उपलब्धता उनके उपयोग से सम्बंधि नियमों के अनुसार की जाती है जिनमें अ बातो के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि नका उपयोग कई हालतो में वास्तविक ड्यूटी होने पर आवास तथा कार्यालय के बीच किया जा सकता है और ड्यूटी न होने पर ुगतान करने पर।

(च) कारों का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वार अथवा वरिष्ठ अधिकारियो की ओर से अथवा निजी सहायकों द्वारा अथवा निजी सचिवों द्वारा सफर के व्यौरों को दर्ज क ना अपेक्षित होता है।

†[THE MINIS ER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V.K.R.V. RAO) : (a) Five.

(b) 111,339 kil meters (including 23,306 kilometers during holidays).

(c) It is not p ssible to determine the mileage for off cers and non-gazetted staff separately, s all the entries in the log books are sign d by gazetted officers, and much labou would be involved in collecting such ata which would not be commensurate wi the result likely to be achieved.

(d) The availa il ty of staff cars for officers and staff like is dependant upon the demands of arge Ministry on a restricted number of such cars and their serviceability at any given time.

(e) The staff cars are made available in accordance with rules governing their use which, *inter alia*, stipulate that they may be used b tween residences and offices on *bona fid* duty on certain conditions, and for no -duty purposes on payment.

(f) The details f journeys are required to be entered by the officers using the cars or by privat secretaries or personal assistants on beha f of very senior officers.

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

709. **श्री नवल किशोर** : क्या **शिक्षा तथा युवा सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी 17वी बैठक में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा समिति ने विदेशों में हिन्दी का प्रचार करने हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति द्वारा 27 अप्रैल की अपनी बैठक में तैयार की गयी योजना सरकार ने मंजूर कर ली थी;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना को सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद के माध्यम से कार्यान्वित करने का विचार रखती है और यदि हा, तो कब से ?

†[PROPAGATION OF HINDI IN FOREIGN COUNTRIES

709. SHRI NAWAL KISHORE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at its seventeenth sitting held on the 4th September, 1965, the Kendriya Hindi Siksha Samiti (Central Hindi Teaching Committee) had appointed a sub-committee to prepare a comprehensive scheme for the propagation of Hindi in foreign countries;

(b) whether it is a fact that at its sitting held on the 27th April, 1966, a scheme prepared by this committee was accepted by Government;

(c) if so, what are the main features of the scheme; and

(d) whether Government propose to give effect to his scheme through the Indian Council of Cultural Relations;

†[ ] English translation.